न्यायालय– सहायक कलेक्टर, रानी जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सिद्धार्थ सान्दू (R.A.S)

राजस्व विविध प्रकरण संख्याः– 35 / 2022

तारीख दायराः– 31.08.2022

तारीख फैसलाः– 21/08/2024

प्रार्थीयाः– नारंगी देवी पत्नी प्रेमसिंह, उम्र 53 (त्रेपन) वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी माण्डल

::–**विरूद्धः**:–

अप्रार्थीगणः–

1. नारायण सिंह पुत्र हीरसिह, उम्र–बालिग, जाति पुरोहित, निवासी माण्डल, तहसील–रानी
2. तहसीलदार, रानी (भूमिधारी राज्य सरकार)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–

1. श्री दौलत मकवाणा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कमलेश सेठिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. पैराकार सरकार।

::–**निर्णयः**:–

दिनांकः 21/08/2024

प्रकरण हाजा में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया और उसके साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और मुख्य रूप से यह कथन किये कि मौजा ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानी तहसील रानी की सरहद मे खसरा नम्बर 362 रकबा 6.2454 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान 6.25 रूपये की कृषि भूमि स्थित है, जिसे वादग्रस्त भूमि कहा गया और वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी नारंगी देवी और अप्रार्थी नारायणसिंह की सहखातेदारी, अविभाजित कृषि भूमि होना बताया गया और दोनो का 1/2–1/2 हिस्सा सामलाती होना और सामलाती कब्जा काश्त होना कथन किया गया और यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 01 की सामलाती मे बोई हुई रबी की तारा–मीरा की फसल की कटाई के बाद से पिछले 02 माह से प्रार्थी और उसका पति प्रेमसिंह अप्रार्थी नारायणसिंह से मौखिक निवेदन कर रहे है कि इस वर्ष की सावणु फसल की बुआई से पूर्व

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

वादग्रस्त भूमि का मौके पर नाप–झौक करवाकर, पत्थरगडी करवाकर, वाई मिटस एड बाउडस बंटवाडा करवा लिया जावे परन्तु अप्रार्थी नारायणसिह इस हेतु सहमत नही हुआ और जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह मे भी इस हेतु अप्रार्थी नारायणसिंह से निवेदन किया तो वह बंटवाडा करवाने से इंकार हो गया और प्रार्थी ने 1/2 हिस्से पर उसके काश्त का हिम्मताराम मारू कुम्हार द्वारा खडाई कर बोई हुई सावणु मूंग की फसल पर अप्रार्थी नारायणसिह ने पुनः खडाई कर फसल नष्ट कर दी और वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने की धमकीया दी। यह भी कथन किया कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का कानूनन बंटवाडा करवाये बिना, आगे–आगे की उपजाऊ एवं कीमती **विशिष्ठ** हिस्सा की भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा है और यह अनुतोष चाहा कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी नारायणसिंह को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ हिस्से पर नाजायज कब्जा नही करे, विशिष्ठ हिस्सा बैचान हस्तांतरण नही करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप मे हस्तक्षेप, दखलअदाजी स्वय नही करे और अन्यो से नही करावे और मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब और काउंटर क्लेम प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और मुख्य रूप से यह कथन किये गये कि प्रार्थी ने सही तथ्यो को छुपाया है, सही तथ्य यह है कि प्रार्थी नारंगी देवी के पति प्रेमसिंह जी एवं अप्रार्थी नारायणसिह दोनो ही हीरसिह जी के पुत्र थे, प्रार्थी नारंगी देवी के पति प्रेमसिंह जी पहले ही मनरूप सिंह जी के गोद जा चुके है और हिन्दू एडोपसन एंड मेटीनेंस एक्ट के अनुसार प्रेमसिह, मनरूप सिंह जी के गौद जाते ही उनका हीरसिंह जी की वंशावली से संबध समाप्त हो गया और हीरसिंह जी की सम्पति मे वादी नारंगी देवी के पति प्रेमसिह जी का कोई हक, हिस्सा अधिकार नही रहा। इस कारण वादी के पति प्रेमसिह जी ने अपने जन्म दाता पिता हीरसिंह जी की सम्पति को जो प्रार्थी को बकशीश करना बताया है वह उन्हे बकशीश करने का अधिकार नही था और वादग्रस्त भूमि स्वीकृत रूप से अप्रार्थी के पिता हीरसिह जी की खातेदारी, कब्जा काश्तशुदा भूमि थी और प्रार्थी के पति प्रेमसिंह जी के मनरूप सिंह जी के गौद जाने के पश्चात उनका हीरसिंह जी की वादग्रस्त भूमि मे कोई हक, हिस्सा अधिकार नही रहा, उसके बावजूद गौद जाने के तथ्यो को छुपाकर प्रेमसिंह जी अपना फौतेदगी म्यूटेशन गलत रूप से दर्ज करवा दिया। म्यूटेशन की कार्यवाही फिसकल प्रोसेडिंग होती है, जिससे कोई राईट टाईटल इंटरेस्ट प्राप्त नही होते है ओर प्रार्थी नारगी देवी के पति प्रेमसिंह जी ने प्रार्थी नारंगी के पक्ष में कूटरचित फर्जी गिफ्ट डीड बिना अधिकार के निष्पादित की और अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उस कूटरचित फर्जी गिफ्ट डीड के आधार पर प्रार्थी के नाम म्यूटेशन पारित कर दिया जिससे भी प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है, प्रार्थी को खातेदारी घोषणा का दावा लाना होता है और प्रार्थी जो फर्जी कूटरचित गिफ्ट डीड होना बताती है उस अनुसार भी प्रार्थी अजनबी स्ट्रेजर पर्सन है, अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन मूल खातेदार के विरूद्ध कोई अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता है ओर प्रार्थी जो गिफ्ट डीड बताती है वह गिफ्ट डीड कभी पूर्ण नही हुई क्योकि स्वीकृत रूप से मूल वाद बंटवाडे का प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी नारंगी देवी के पति प्रेमसिंह और अप्रार्थी के मध्य कभी बंटवाडा नही हुआ है और जब बंटवाडा नही हुआ तो कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने जैसी स्थिति नही रही और कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द नही किया गया

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

तो गिफ्ट डीड पूर्ण नही हुई और प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा और कब्जे का वाद प्रस्तुत नही किया है और वाद प्रस्तुती से पूर्व, वाद प्रस्तुती के दिन और वाद प्रस्तुती के पश्चात कभी भी प्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा, प्रार्थी ने कभी अप्रार्थी नारायणसिह के साथ सामलात मे फसल नही बोई और कभी भी फसल प्राप्त नही की, जो भी फसल बोई गई, काटी गई, अवेरी गई वह अप्रार्थी नारायणसिह जी की थी, प्रार्थी का उस फसल से कोई लेना–देना नही था और प्रार्थी स्वयं ने वाद मे अपना हाल ठिकाणा बैंगलोर का बताया है और प्रार्थी व प्रार्थी के पति ने कभी भी अप्रार्थी से बंटवाडा करने का निवेदन नही किया और प्रार्थी व उसके काश्तकार हिम्मताराम ने कभी कोई मूंग की फसल नही. बोई और अप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी कोई धमकी नही दी। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर लगातार अप्रार्थी नारायणसिंह का ही कब्जाकाश्त है, प्रार्थी का कभी कब्जाकाश्त नही रहा और कब्जाकाश्त नही है।

अप्रार्थी संख्या 01 नारायणसिंह ने कांउटर क्लेम प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और इस प्रकरण मे काउटर क्लेम प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और मुख्य रूप से यह कथन किये कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वाद और यह प्रकरण प्रस्तुती के पूर्व, प्रस्तुती के दिन और प्रस्तुती के पश्चात लगातार कब्जाकाश्त एकमात्र अप्रार्थी नारायणसिंह का ही रहा, प्रार्थी का कभी किसी रूप मे कब्जाकाश्त नही रहा और प्रार्थी इस प्रकरण की आड मे अप्रार्थी नारायणसिंह के वादग्रस्त भूमि के कब्जे, काश्त, उपयोग–उपभोग मे दखलअदांजी कर रही है, जो उसे करने का अधिकार नही है इस कारण प्रार्थी को काउंटर दावा के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थी नारायणसिंह के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से, किसी भी रूप मे हस्तक्षेप, दखअदाजी नही करे और उपयोग–उपभोग मे बांध उत्पन्न नही करे और न अन्यो से करावे और अप्रार्थी नारायणसिंह को बेदखल नही करें।

प्रार्थी ने अप्रार्थी नारायणसिंह के कांउटर क्लेम प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया और मुख्य रूप से यह कथन किये कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी नारंगी देवी और अप्रार्थी नारायणसिंह की सहखातेदारी, अविभाजित भूमि है और अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच भूमि मे प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा, अनुपात अनुसार कब्जाकाश्त कायम था, कायम रहा और कायम है और एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का अधिकार है।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी, प्रार्थी नारंगी देवी ने अपने मूल प्रार्थना पत्र और कांउटर क्लेम के जवाब मे दर्ज तथ्यो को दौहराया और कथन किया कि यदि मूल प्रार्थना पत्र मे चाही गयी अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जायेगी तो उसे भारी असुविधा और कठिनाई होगी और अशोधनीय, अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा और वह वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार है जिस कारण उसका प्रथम दृष्टया मामला है इस प्रकार तीनो बिन्दू उसके पक्ष मे है, प्रार्थी ने अपनी ओर से अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत किये:–

1. आर.वी.जे. (17) 2010 पेज नम्बर 652
2. आर.वी.जे. (12) 2005 पेज नम्बर 376
3. आर.वी.जे. (11) 2004 पेज नम्बर 208

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से अपनी बहस मे अपने जवाब और काउटर क्लेम मे दर्ज तथ्यो को दौहराया और कथन किया कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे और उनका काउटर क्लेम प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का वाद प्रस्तुती के पूर्व, वाद प्रस्तुती के दिन और वाद प्रस्तुती के पश्चात आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त है. प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा और प्रेमसिह को प्रार्थी के पक्ष मे गिफ्ट डीड करने का अधिकार नही था और वह गिफ्ट डीड कभी पूरी नही हुई और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है, उसकी फसल खडी है, इस कारण अप्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है और यदि प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की गई तो प्रार्थी अपनी धमकी अनुसार अप्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के उपयोग–उपभोग मे दखअदाजी करेगी, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति मे परिवर्तन कर देगी, जिससे अप्रार्थी को भारी असुविधा होगी अशोधनीय, अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा। अप्रार्थी की ओर से अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 1991 पेज 197 प्रस्तुत की।

दोनो पक्षो की बहस पर और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत है, अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दूओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है :–

प्रथम दृष्टया मामला– पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति संवत् 2075 से 2078 मे दर्ज इन्द्राज अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का नाम दर्ज है, मूल वाद विभाजन का है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से प्रकट है कि प्रार्थी नारंगी देवी का पति प्रेमसिंह पूर्व मे ही मनरूपसिह के गौद चला गया था और ग्राम माण्डल में मनरूपसिह की जो भूमि थी उस भूमि का म्यूटेशन संख्या 1028 दिनांक 25.01.1993, मनरूप सिंह के स्थान पर प्रेमसिंह गौदपुत्र मनरूपसिंह दर्ज किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का पति प्रेमसिंह अप्रार्थी के जवाब और काउटर क्लेम मे दर्ज अनुसार मनरूपसिंह के गौद चला गया था। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 अनुसार दत्तक का परिणाम यह होता है कि दत्तक के पश्चात उस व्यक्ति का अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त संबंध टूट जाते है और उनका स्थान वे संबंध ले लेते है जो दत्तक कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुए हो और वह अपने जन्मदाता पिता की वंशावली से निकलकर अपने दत्तक पिता की वंशावली मे चला जाता है और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी नारंगी देवी का पति प्रेमसिंह, मनरूपसिंह के गौद चला गया था इस कारण प्रेमसिंह का हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 12 अनुसार उसके अपने जन्म के कुटुम्ब और जन्मदाता पिता से समस्त संबंध टूट गये थे और वह अपने जन्मदाता की वंशावली से निकलकर अपने दत्तक पिता की वंशावली मे चला गया था और अपने दत्तक पिता मनरूपसिंह जी के स्वर्गवास पश्चात मनरूपसिंह की भूमि का म्यूटेशन प्रेमसिंह के नाम मनरूपसिंह जी के दत्तक पुत्र की हैसियत से पारित हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रेमसिंह और प्रतिवादी नारायणसिंह के पिता हीरसिह की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा थी और प्रेमसिंह के मनरूपसिंह के गौद जाने के पश्चात प्रेमसिंह का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हिस्सा अधिकार नही बचा था

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

और प्रेमसिंह ने अपने मनरूपसिंह के गौद जाने के तथ्य को छुपाकर यदि हीरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद फौतेदगी म्यूटेशन अपने नाम पारित करवा भी लिया है तो उससे प्रेमसिह को वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है और उसे वादग्रस्त भूमि अपनी पत्नी प्रार्थी नारगी देवी को बक्शीश करने के अधिकार प्राप्त नही होते है और स्वीकृत रूप से प्रार्थी नारगी देवी ने अपना निवास बैगलोर होना बताया है और प्रेमसिंह व अप्रार्थी नारायणसिह के मध्य वादग्रस्त भूमि का कभी बंटवाडा नही हुआ है, इन परिस्थितियो मे सम्पति अंतरण अधिनियम अनुसार जब तक आदाता द्वारा दान की गई सम्पति का कब्जा प्राप्त नही किया जाता है तब दान पूर्ण नहीं होता है और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से तो यह स्पष्ट रूप से प्रकट व प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि में प्रेमसिंह का कोई हक, हिस्सा अधिकार कब्जा नही था और उसे प्रार्थी नारंगी देवी को बक्शीश करने का अधिकार ही नही था और बिना अधिकार के की गई बक्शीश से प्रार्थी नारंगी देवी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है और वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी नारगी देवी का यह प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, यह प्रकरण प्रस्तुत करने के दिन और यह प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात कभी कब्जा रहा हो, इस बावत पत्रावली पर कोई दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य नही है। इस कारण प्रार्थी नारंगी देवी का प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है और प्रार्थी नारगी देवी प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है।

इसके विपरित वादग्रस्त भूमि स्वीकृत रूप से अप्रार्थी नारायणसिंह के पिता हीरसिंह की थी और हीरसिंह का पुत्र प्रेमसिंह जो प्रार्थी नारंगी देवी का पति है वह मनरूपसिंह के गौद चला गया था और हीरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी नारायणसिंह का ही एकमात्र हक अधिकार, कब्जाकाश्त हुआ है और इस प्रकरण के पूर्व और इस प्रकरण की प्रस्तुती के दिन और इस प्रकरण की प्रस्तुती के पश्चात लगातार कब्जाकाश्त अप्रार्थी नारायणसिंह का ही रहा है, इन परिस्थितियो में अप्रार्थी नारायणसिंह का प्रथम दृष्टया मामला बनना स्पष्ट रूप से प्रकट व प्रमाणित है और अप्रार्थी नारायण सिंह प्रथम दृश्टया मामला का बिन्दू अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू तय करते समय यह स्पष्ट रूप से प्रकट व प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थी नारंगी देवी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और प्रार्थी नारंगी देवी प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है और प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी नारायणसिंह का बनना प्रकट है और अप्रार्थी नारायणसिंह प्रथम दृष्टया का बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने मे सफल रहा है। इन परिस्थितियो मे यदि अप्रार्थी का काउंटर क्लेम स्वीकार नही किया जायेगा तो प्रार्थी अप्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलअदांजी करेगी, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति मे परिवर्तन करेगी, जिससे निश्चित रूप से अप्रार्थी को भारी असुविधा होगी, इसके विपरित प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही करने की स्थिति में प्रार्थी को किसी भी तरह की कोई असुविधा होने जैसी स्थिति नही है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है, बल्कि सुविधा का संतुलन का बिन्दू अप्रार्थी नारायणसिंह के पक्ष मे बनना प्रमाणित है और अप्रार्थी नारायण सिंह सुविधा का संतुलन का बिन्दू अपने पक्ष मे साबित करने

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

मे सफल रहा है जिससे सुविध के सुतलन का बिन्दू अप्रार्थी नारायणसिंह के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

3. **अशोधनिय अपूर्णीय क्षति** :– प्रथम दृश्टया मामला और सुविधा का संतुलन का बिन्दू तय करते समय यह निर्णित किया जा चुका है कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है और प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी नारायणसिंह का है और सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी नाराणयणसिंह के पक्ष मे है और वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है और उपर निर्णित किये गये अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अधिकार भी नही है, इन परिस्थितियो मे प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही करने की स्थिति में प्रार्थी को कोई अशोधनिय_अपूर्णीय क्षति होने जैसी स्थिति नही हैं, इन परिस्थितियो मे अशोधनिय_अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है और प्रार्थी अशोधनिय_अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है, इसके विपरित वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है, इन परिस्थितियो मे यदि अप्रार्थी का काउंटर क्लेम प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाता है और अप्रार्थी नारायणसिंह के पक्ष मे और प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जाती है तो प्रार्थी वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलअदांजी करेंगी, अप्रार्थी को बेदखल करेगी, उसके उपयोग–उपभोग मे दखलअदांजी करेगी, जिससे निश्चित रूप से अप्रार्थी नारायणसिंह को अशोधनिय_अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा। इस प्रकार अशोधनिय_अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थी नारायणसिंह के पक्ष मे प्रमाणित है और अप्रार्थी नारायणसिंह यह बिन्दू भी अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अशोधनिय अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध और अप्रार्थी नारायणसिंह के पक्ष मे तय किये जाते है और प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है और अप्रार्थी नारायणसिंह का काउंटर क्लेम प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

::–**आदेश**::–

प्रार्थी नारंगी देवी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह मूल वाद और काउंटर क्लेम प्रतिदावा के अंतिम रूप से निर्णय तक वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थी नारायणसिंह के कब्जे काश्त मे किसी भी रूप मे हस्तक्षेप, दखअदांजी नही करे, उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे, न अन्यो से करावे न राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम होने के आधार पर बेचाण, हस्तातरण करें।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी
सिद्धार्थ सान्दू (R.A.S)
सहायक कलेक्टर, रानी

यह आदेश आज दिनांक 21/8/24 को खुल्ले न्यायालय मे पढकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी
सिद्धार्थ सान्दू (R.A.S)
सहायक कलेक्टर, रानी